

**प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना मौसम खरीफ 2024 के अन्तर्गत
जिलावार/फसलवार बीमित राशि एवं कृषक द्वारा देय प्रीमियम राशि (रु./हे.)
(खरीफ 2024 मौसम के अन्तर्गत एचडीएफसी एगो को अधिकृत जिलों के अधिसूचित फसलों में
बीमा के लिए देय प्रीमियम दर बीमित राशि का 2% एवं कपास हेतु 5%)**

मौसम	जिला	फसल	बीमित राशि	कृषक प्रीमियम राशि
खरीफ 2024	हिसार	कपास	103525	5176.25
		धान	101190	2023.80
		बाजरा	48779	975.58
		मक्का	51892	1037.84
		मूंग	45405	908.1
	सोनीपत	कपास	103525	5176.25
		धान	101190	2023.80
		बाजरा	48779	975.58
		मक्का	51892	1037.84
	गुरुग्राम	कपास	103525	5176.25
		धान	101190	2023.80
		बाजरा	48779	975.58
		मक्का	51892	1037.84
	करनाल	कपास	103525	5176.25
		धान	101190	2023.80
		बाजरा	48779	975.58
		मक्का	51892	1037.84
	अम्बाला	कपास	103525	5176.25
		धान	101190	2023.80
		बाजरा	48779	975.58
		मक्का	51892	1037.84
	जिन्द	कपास	103525	5176.25
		धान	101190	2023.80
		बाजरा	48779	975.58
		मक्का	51892	1037.84
	महेंद्रगढ	कपास	103525	5176.25
		धान	101190	2023.80
		बाजरा	48779	975.58
मक्का		51892	1037.84	
मूंग		45405	908.1	

ई-मेल: pmfby.haryana@hdfcergo.com

वेबसाइट: <https://pmfby.gov.in/farmer>

फसल बीमा कराओ, सुरक्षा कवच पाओ!





भारत सरकार एवं हरियाणा सरकार द्वारा संचालित प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना (PMFBY)



मौसम – खरीफ 2024

फसल बीमा कराओ, सुरक्षा कवच पाओ!

उद्देश्य :

1. प्राकृतिक आपदाओं से अधिसूचित क्षेत्र में बोई गयी अधिसूचित फसल को बीमा कवर प्रदान करना।
2. कृषि में उन्नत तकनीक के प्रयोग को बढ़ावा देना।
3. किसानों की कृषि आय स्थिर रखना।

पात्र कृषक: अधिसूचित क्षेत्र में अधिसूचित फसल उगाने वाले सभी कृषक (ऋणी/गैर ऋणी)

(ऋणी कृषकों को बीमा में शामिल न होने के सम्बन्ध में अपना प्रार्थना पत्र सम्बन्धित बैंकों को बीमा की अन्तिम तिथि से 7 दिन पूर्व देना अनिवार्य है।)



अधिसूचित फसल	कृषक द्वारा देय राशि	बीमा कराने की अन्तिम तिथि
धान, बाजरा, मक्का, मूंग व कपास	बीमित राशि का 2% एवं कपास हेतु 5%	16 अगस्त 2024 (केवल खरीफ 2024 हेतु)

बीमा कहाँ करायें/जानकारी हेतु

सम्बन्धित बैंक शाखा

जन सेवा केन्द्र (CSC)

भारत सरकार के PMFBY Portal (www.pmfby.gov.in)

बीमा कंपनी कार्यालय

बीमा से आच्छादित जोखिम

ग्राम स्तर पर (क्षेत्र आधारित)	व्यक्तिगत आधार पर
<ul style="list-style-type: none"> • फसल की अवधि में प्राकृतिक आपदा के नुकसान की स्थिति में। • फसल कटाई के आधार पर प्राप्त वास्तविक उपज में गारन्टीड/थ्रेशोल्ड उपज की तुलना में कमी होने की स्थिति में। 	<ul style="list-style-type: none"> • स्थानीय आपदा – खड़ी फसलों को ओलावृष्टि, जलभराव (फसल धान को छोड़कर), बादल फटने के कारण क्षति की स्थिति। • फसल कटाई उपरान्त आगामी 14 दिनों तक खेत में सुखाई हेतु रखी गयी फसल को ओलावृष्टि, चक्रवाती वर्षा/बेमौसम बारिश से क्षति की स्थिति। (उपरोक्त आपदा स्थिति में कृषक द्वारा 72 घण्टे के अन्दर सूचना देना अनिवार्य है।)

गैर ऋणी कृषकों के लिए :

- 1) नवीनतम आधार कार्ड की प्रति।
- 2) नवीनतम बैंक पासबुक की प्रति (जिस पर बैंक की मोहर लगी हुई हो)।
- 3) जमीन की जमाबंदी/फर्द जिसमें किसान का नाम, खेवट नम्बर (किल्ला नम्बर) स्पष्ट रूप से दर्ज हों।
- 4) विभाग द्वारा जारी फसल बुआई प्रमाण पत्र ही भरें जिसमें खेवट नम्बर, खसरा नम्बर (किल्ला नम्बर), फसल का नाम और फसली गांव का नाम स्पष्ट रूप से भरा हुआ हो और गांव के सम्बन्धित नम्बरदार के साथ पटवारी या कृषि विकास अधिकारी/खंड कृषि अधिकारी के हस्ताक्षर व मोहर लगवाकर सत्यापित किया गया हो। इसके अतिरिक्त किसान भाई फसल बुआई प्रमाण पत्र न लगाने की स्थिति में पटवारी द्वारा जारी खसरा गिरदावरी भी मान्य होगा।
- 5) यदि किसान द्वारा जमीन पट्टे/ठेके पर ली गई है वे किसान भाई विभाग द्वारा जारी काश्तकार किसान प्रमाण पत्र ही भरें व इसमें दिये गये सभी सूचना के साथ – 2 मेरी फसल मेरा ब्यौरा का रजिस्ट्रेशन नम्बर दर्ज करें व पंजीकरण की स्पष्ट प्रति भी संलग्न करें।

फसल नुकसान के सम्बन्ध में सूचित करने हेतु

टोल फ्री नं.:
14447

कृषि/नजदीकीय
कृषि विभाग कार्यालय

क्रॉप इन्श्योरेन्स
ऐप



एचडीएफसी एगो जनरल इन्श्योरेन्स कंपनी लिमिटेड

फसल बीमा कराओ, सुरक्षा कवच पाओ!

